Regarding need to ensure enforcement of Panchayats Extension of Scheduled Areas (PESA) Act, 1996 by State Governments-Laid

श्री राजकुमार रोत **(**बांसवाड़ा**) :** अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के स्वशासन और स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए पेसा एक्ट 1996 को कानूनी रूप दिया गया । इसके तहत भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य है । राजस्व, आबकारी और खनन जैसे मामलों में ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक है, लेकिन वर्तमान में राज्य सरकारें इसके प्रावधानों की अनदेखी कर असंवैधानिक कार्य कर रही हैं । पेसा एक्ट कागजों तक सीमित रह गया है, और धरातल पर इसका क्रियान्वयन शून्य है । अनुसूचित क्षेत्रों में खनन के नाम पर अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण हो रहा है, जिससे सदियों से बसे आदिवासी परिवारों को विस्थापित किया जा रहा है । इसके अलावा, एक्ट में प्रावधान है कि दो वर्ष से कम सजा वाले मामलों में पुलिस सीधे मुकदमा दर्ज नहीं करेगी, बल्कि विवाद को ग्राम सभा में सुलह के लिए भेजेगी । लेकिन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पुलिस द्वारा लोगों को अनावश्यक रूप से हिरासत में रखा जाता है । पेसा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है । अतः केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को निर्देशित कर पेसा एक्ट को सख्ती से लागू कराना चाहिए और इसके उल्लंघन पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए ।

_____

14.17 hrs